

9 CMS

2020/00042

08/02/2021

39

निर्णय

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. नवलदास

हलका काद्यानाडी

पुत्र श्री. प्रशांतदास जाति जाट

निवासी - केराभापाना

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 39 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-10-2020	<p>पटवारी हलका <u>काद्यानाडी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>केराभापाना</u> के खसरा नंबर <u>424/1</u> रकबा <u>0-0-8</u> किस्म भूमि <u>कारान</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-11-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार/सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
11-11-2020	<p>पत्रावली आठ पेश हुई। नोटिफिकेशन तामिल प्राप्त। प्रिंसिपल अधिकारी पंचायत समिति पापला कला के चुनाव कार्य के चपल है। पत्रावली दिनांक 27-11-2020 को पेश है।</p>	
27-11-2020	<p>पत्रावली पेश हुई। नोटिफिकेशन तामिल प्राप्त। प्रिंसिपल अधिकारी पंचायत समिति पापला के चुनाव कार्य के चपल है। पत्रावली दिनांक 16-12-2020 को पेश है।</p>	

16-12-2020


पत्रावली भण्ड पेश हुई। नोटि अधिक गतिम प्राप्त
तमिल कुमिडा की पंचमतीराण-पुनाव के उयुरी होने
के कारण नोटि तमिल नहीं हो सके, पुनः नोटिस
जारी होकर पत्रावली दिनांक 30-12-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

30-12-2020

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल उपस्थित।
पीठालीन अधिकारी भक्कास पर होने के
कारण पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।

30-12-2020



जवलादाश

18-01-21

पत्रावली भण्ड पेश हुई। गैर सापल अनुपस्थित।
गैर सापल को बार-बार जवाब हेतु भक्कास
दिने जाने के बावजूद भी अनुपस्थित। गैर
सापल को भतिक्रमी घोषित करने हेतु उनके
क्रिड्ड एक तरफा कार्यवाही भण्ड के लोर्ड
जाकर पत्रावली फेसल सुगार हो। निगम
रुले न्यायालय के सुनाया बाण। पत्रावली
फेसल सुगार होकर नंबर से कम होकर
दार्जिल्य दफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर